विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 / 05 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या-60

विषयः कोविड-19 (आरटी-पीसीआर/एंटीजन) की अनिवार्य जाँच से छूट।

दिनांक 26 जुलाई 2021 के समाचार भाग—2 संख्या 59 के क्रम में माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि जिन माननीय सदस्यों का पूर्ण वैक्सीनेशन हो चुका है अर्थात् जो कोविड—19 वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं, उन्हें 29 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाले सदन के सत्र में उपस्थित होने के लिए आरटी—पीसीआर / एंटीजन की अनिवार्य जाँच कराना आवश्यक नहीं है। ऐसे माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सत्यापन के लिए अपने कोविड—19 वैक्सीन प्रमाण—पत्र, भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में, साथ लायें।

इसके अलावा, यदि ऐसे माननीय सदस्य फिर भी आरटी—पीसीआर/एंटीजन जाँच कराना चाहते हैं तो वे समाचार भाग—2 संख्या 59 में निर्दिष्ट सुविधा का लाभ विधान सभा परिसर में उठा सकते हैं।

> राज कुमार सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Tuesday, 27 July 2021/05, Shraavan, 1943 (*Shaka*)

No. 60

SUBJECT: EXEMPTION FROM MANDATORY TESTING OF COVID-19 (RT-PCR/ANTIGEN)

In continuation of Bulletin Part-II No. 59 dated 26 July 2021, it is informed that Hon'ble Speaker has directed that the Hon'ble Members who are fully vaccinated i.e. have taken two doses of COVID-19 Vaccine, are not required to get the mandatory RT-PCR/Antigen test done for the purpose of attending the session of the House commencing from 29.07.2021. Such Hon'ble Members are requested to carry their COVID-19 Vaccine Certificates in physical or electronic format for verification.

Further, if such Hon'ble Members still desire to get the RT-PCR/Antigen test done, then they can avail the facility in the Assembly premises as specified in Bulletin Part-II No. 59.

Raj Kumar Secretary